छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर–2022 से जनवरी, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2023 (पौष 12,1944)

समय 11:00 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के लिये निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 80 भानुप्रतापपुर (अजजा) से उपनिर्वाचन में निर्वाचित सदस्य, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी।

2. निधन का उल्लेख

श्री मंगलराम उसेण्डी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य।

3. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री टी. एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021–22 (दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–

(i) एफ 5–1/आठ–परि./2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 तथा

(ii) एफ 5–10/आठ–परि./2020, दिनांक 02 अगस्त,2022 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार –

(i) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021–22,

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) शेड्यूल्ड बैंक का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2021–22,

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021–22 तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक –

(i) एफ 15–27/15–2/2021/3, दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 तथा

(ii) एफ 15–25/15–2/2022/4, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पटल पर रखेंगे।

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, जल संसाधन विभाग के संभाग क्रमांक–2 में मुआवजा वितरण राशि में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, रायपुर के तेलीबांधा एक्सप्रेस–वे का निर्माण गाईडलाईन के अनुरूप नहीं किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

7. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2022–2023 की शेष अवधि हेतु एक सदस्य का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2022–2023 की शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 1 जनवरी, 2023